तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14-01-26	पत्रावली पेश हुई।	

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुंनी गई।

प्रार्थीगण की अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण के ग्राम पादरू तहसील सिवाना में अवस्थित मूल खसरा संख्या 2617/219 रकबा 11.8699 हैक्टेयर भूमि का तहसील सिवाना का नवीन भू–प्रबन्ध के दौरान खसरा संख्या 364 व 366 रकबा 7.9887 व 3.2694 हैक्टेयर बना,राजस्व कर्मचारियों द्वारा नवीन भू–प्रबन्ध के दौरान नक्शा तरमीम करते समय नवीन खसरा संख्या 364 व 366 के मध्य से रास्ता अंकित कर दिया जिससे प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है, राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त खसरान के बदिशा पश्चिम माठ पर खसरा संख्या 363 व 367 की पूर्वी माठ के किनारे प्रार्थीगण की लगभग 0.6118 हैक्टेयर भूमि खसरा संख्या 363 व 367 में शामिल कर दिया गया, उक्त तरमीम में सहवन से गलत इन्द्राज कर गलत तौर से दर्शा दिया गया जो कि लिपकीय त्रुटि की श्रेणी में आता है राजस्व कर्मचारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर गलत तौर से नक्शा ट्रेस में गलत इन्द्राज कर भूमि को कम कर न ये नक्शे व जमाबन्दी जारी कर दी जो पूर्णतया त्रुटिवश है तथा अपने आप में अवैध अनुचित व दुरूस्ती योग्य है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 364 व 366 रकबा 7.9887 व 3.2694 हैक्टेयर की भूमि में बदिशा पश्चिम में भूमि को कम कर उक्त खसरे में कम रकबा को संशोधित कर गलत तौर से अंकित तरमीम को निरस्त कर पूर्व रकबे अनुसार सुधार कर तरमीम दुरूस्ती की जावे।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की [illegible]नी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावे[illegible] तहसीलदार सिवाना द्वा[illegible] किया। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार ख[illegible] संख्या 366 व 364 का कुल रकबा 11.2581 हैक्टेयर है, मौके पर कब्जा काश्त अनुसार रकबा पूर्ण है ,आस–पास खातेदारो के भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.07 12:42:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	भूमि ज्यादा दर्ज नहीं है, जिस कारण प्रार्थीगण का रकबा पूर्ण किया जाना संभव नहीं हैं। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार मौके पर प्रार्थीगण का रकबा पूर्ण है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.07 12:42:50 IST
Reason: SelfAttested